न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी, रानी, जिला–पाली (राज0)

बईजलास– अदिती पुरोहित (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 06/2018

प्रार्थीगण :–

1– श्रीमति देवहुति पुत्री दुर्गादानजी पत्नि बिहारीचरण,
2– बिहारीशरण पुत्र चेनसिंहजी, कौम– चारण, निवासी– रायपुरिया, तहसील– रानी, जिला– पाली हाल जोधपुर।

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण–

1– देवाराम पुत्र जेठारामजी, कौम– रावणा राजपूत, निवासी– रायपुरिया, तहसील– रानी, जिला–पाली (राजस्थान)
2– तहसीलदार भूमिधारी राजस्थान सरकार।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से श्री गणेशराम चौधरी एडवोकेट।
अप्रार्थी सं0– 1 की ओर से श्री कमलेश सेठीया एडवाकेट।

–: निर्णय :– दिनांक– 21-06-2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ग्राम रायपुरीया मे खसरा नम्बर– 358 क्षेत्रफल– 0.0100 हैक्टर गै.मु.बेरा प्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज है व खसरा नम्बर– 346 क्षेत्रफल– 4.4700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल प्रार्थी संख्या–2 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का आपस मे पति–पत्नि का संबंध है दोनो एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण का कुआ ग्राम रायपुरिया मे खसरा नम्बर– 358 क्षेत्रफल– 0.0100 हैक्टर विद्यमान है जहां से अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर– 346 की भूमि मे जरिये पाईप लाईन भूमि के अन्दर (अण्डारग्राउण्ड) ले जाना चाहते है, जिसके बीच खसरा नम्बर– 357 जो राजस्थान सरकार के खाते मे राजस्व रेकर्ड मे गै.मु. रास्ता दर्ज है व खसरा नम्बर– 342 की भूमि अप्रार्थी संख्या–1 के नाम दर्ज है उक्त भूमि मे से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि मे खसरा नम्बर– 358 से 346 तक पाईप लाईन खसरा नम्बर– 357 गै.मु. रास्ता मे होकर व खसरा नम्बर– 342 की भूमि मे पूर्व दिशा की तरफ खसरा नम्बर– 347 की माट के पास मे होकर दक्षिण से उत्तर की तरफ जो नक्शा मे लाल रंग से दर्शित की गई है, पाईप लाईन निकालना चाहते है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि मे पाईप लाईन ले जाने के लिए सिंचाई हेतू और कोई रास्ता नही है। प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा जमा करवाने को माफीक आदेश पाबंद्ध है। प्रार्थीगण को अपने भूमि मे पाईप लाईन निकालने हेतू न्यायालय की आज्ञा की आवश्यकता है, जिसमे अप्रार्थीगण की भूमि मे से पाईपलाईन

––क्रमशः पेज– 2 पर.....

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

निकालने हेतू नियमानुसार आज्ञा दिलाई जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से वकील श्री कमलेश सेठीया ने वकालत नामा पेश किया एवं प्रार्थना–पत्र का जबाब अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से पेश कर निवेदन किया कि–प्रार्थीगण पति– पत्नि अवश्य है किन्तु प्रार्थीगण की कृषि भूमियां पृथक पृथक खातेदारी की है कुआ खसरा नम्बर– 358 प्रार्थी संख्या–1 की खातेदारी का है एवं जिस बेरा से प्रार्थीगण अण्डर ग्राउण्ड पाईपलाईन जिस भूमि मे ले जाना चाहते है, वो आराजी खसरा नम्बर– 358 प्रार्थी संख्या–1 की खातेदारी का है एवं जिस बेरा से प्रार्थीगण अण्डर ग्राउण्ड पाईपलाईन जिस भूमि मे ले जाना चाहते है, वो आराजी खसरा नम्बर– 346 प्रार्थी संख्या–2 की खातेदारी की है एवं जिस प्रार्थी संख्या–1 के बेरा से पाईपलाईन ले जाना चाहते है, उससे लगती हुई खसरा नम्बर– 349 की भूमि स्थित है, जो निकटतम रूट है, जिससे होकर पाईपलाईन ले जा सकते है, अपितु प्रार्थीगण द्वेष भावना मात्र से अप्रार्थी संख्या–2 की खातेदारी भूमि मे से होकर पाईपलाईन ले जाना चाहते है, जो न्याय संगत नही है, जो निकटतम रूप भी नही है, जिसका प्रार्थीगण को अधिकार नही है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी संख्या–2 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर– 346 की सिंचाई हेतू पूर्व मे ही बेरा सडा खसरा नम्बर– 330 व 333 से पानी की बेल अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर– 342 मे से होते हुए विद्यमान है जिससे अप्रार्थी संख्या–2 की आराजी खसरा नम्बर– 346 की सिंचाई पूर्व से होती आ रही है एवं सिंचित भूमि है, जो इसके अधिकार अभिलेख जमाबंदी से स्पष्ट साबित है यानि सिंचाई का वैकल्पिक साधन मौजूद है जिससे प्रार्थी सं.–2 को अपनी खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नम्बर– 346 की सिंचाई नई पाईपलाईन की आवश्यकता ही नही है। यही नही प्रार्थी संख्या–1 के बेरा से लगती हुई प्रार्थी संख्या–1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर– 351 स्थित है। प्रार्थीगण यदि अपनी सुविधा के लिए और नई पाईपलाईन ले जाना चाहते है तो उसमे से होकर पानी की पाईपलाईन आसानी से ले जा सकेते है। जो अति निकटतम है, जो प्रार्थी सं0–1 की खातेदारी आराजी से मात्र 14 मीटर है एवं अप्रार्थी की खातेदारी आराजी मे से होकर जिस कदर से ले जाना चाहते है वो करीबन 60 मीटर दूरी है। इस प्रकार प्रार्थी संख्या–2 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर– 346 की सिंचाई हेतू वैकल्पि साधन है, जिससे वैकल्पिक साधन होते हुए प्रार्थीगण को अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर– 342 से होकर एक और नई पाईपलाईन ले जाने का कानूनन कोई अधिकार हनी है एवं चूँकि जिस बेरा खसरा नम्बर– 358 से पाईपलाईन ले जाना चाहते है वो प्रार्थी संख्या–1 की खातेदारी है एवं जिस भूमि खसरा नम्बर– 346 मे पाईपलाईन ले जाना चाहते है, वो प्रार्थी संख्या–2 की खातेदारी की है। यानि जिस भूमि बेरा से पाईपलाईन ले जाना चाहता है, वो एवं जिस भूमि मे लाईपलाईन ले जाना चाहते है, वो दोनो ही पृथक पृथ्क खातेदारी की है एवं धारा– 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

——कमशः पेज– 3 पर.....

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

तहत एक खातेदार ही अपनी खातेदारी भूमि से अपनी स्वयं की ही खातेदारी भूमि हेतू अपनी खातेदारी भूमि मे वैकल्पिक साधान के अभाव मे ही नई पाईपलाईन के हक अधिकार प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रार्थी यह मामला मे प्रथम तो धारा— 251—क की परिधि मे आता ही नही है, जिससे प्रार्थीगण का यह आवेदन कानूनन मेन्टेनेबल नही होकर काबिल खारिज के है एवं द्वितीय उपर बताये अनुसार जिस भूमि मे प्रार्थीगण पाईपलाईन ले जाना चाहते है, उसमे सिंचाई का साधन पूर्व मे ही विद्यमान है एवं वकल्पिक साधन होते हुए प्रार्थीगण को अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर— 342 मे से होकर नई पाईपलाईन के अधिकार नही है एवं प्रार्थीगण को इसकी किसी प्रकार से आत्याधिक आवश्यकता ही नही है जिससे प्रार्थीगण का यह मामला धारा— 251—क के तहत नही आता है, जिससे प्रार्थीगण का यह प्रार्थना—पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नही होकर काबिल खारिज के है एवं उपरोक्त सारी वास्तविकताओ को छिपा कर मात्र अप्रार्थी को द्वेषभावना से तंग एवं परेशान करने की नियत मात्र से अप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे से होकर एक और पाईपलाईन ले जाने का अधिकार चाहते है, जो किसी प्रकार से न्याय संगत नही है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा इस संबंध मे तहसीलदार, रानी से रिर्पोट चाही गई, जो जिस पर भू0अभिलेख निरिक्षक एवं पटवारी हल्का की रिर्पोट प्रस्तुत हुई, जो शामिल पत्रावली की गई बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना—पत्र मे वर्णित तथ्यो को अपनी बहस मे उल्लेख करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एवं वकील अप्रार्थी द्वारा अपने जबाब मे वर्णित तथ्यो का उल्लेख करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध्य साक्ष्य का एवं तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, रानी द्वारा भू0अभिलेख निरिक्षक एवं हल्का पटवारी की रिर्पोट मे नियमानुसार भूमिगत पाईप लाईन ले जाने की अनुषंशा की गई है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेखो से खसरा नम्बर— 358 क्षेत्रफल— 0.0100 हैक्टर गै.मु.बेरा प्रार्थी संख्या—1 के नाम दर्ज होना व खसरा नम्बर— 346 क्षेत्रफल— 4.4700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल प्रार्थी संख्या—2 के नाम खातेदारी की दर्ज होना साबित है एवं प्रार्थीगण का आपस मे पति—पत्नि का संबंध है दोनो एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण का कुआ ग्राम रायपुरिया मे खसरा नम्बर— 358 क्षेत्रफल— 0.0100 हैक्टर विद्यमान है जहां से अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर— 346 की भूमि मे जरिये पाईप लाईन भूमि के अन्दर (अण्डारग्राउण्ड) ले जाना चाहते है, जिसके बीच खसरा नम्बर— 357 जो राजस्थान सरकार के खाते मे राजस्व रेकर्ड मे गै.मु. रास्ता दर्ज है व अप्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर— 342 स्थित है, जिसमे से होकर प्रार्थना—पत्र के सलंग्न प्रस्तुत नक्शा प्रति मे लाल रेखा से दर्शित अनुसार भूमिगत पाईपलाईन प्रार्थीगण निकालना चाहते है एवं अप्रार्थीगण यह साबित करने

——क्रमशः पेज— 4 पर.....

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

मे विफल रहे है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे भूमिगत पाईपलाईन से सिंचाई का वैकल्पिक साधन है इस प्रकार मेरी विनम्र राय मे प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि की सिंचाई हेतू प्रार्थना—पत्र मे चाहे अनुसार प्रस्तावित भूमिगत पाईपलाईन बिछाने की आत्यांतिक आवश्यकता प्रतीत होती है एवं उपरोक्त विवेचन मे मेरी राय मे प्रार्थीगण द्वारा चाहे अनुसार भूमिगत पाईपलाईन बिछाने का अधिकार मंजूर किया जाना न्यायोचित मानती हूँ।

—: आदेश :—

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का यह आवेदन अन्तर्गत धारा— 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा सरहद ग्राम— रायपुरिया मे स्थित प्रार्थीगण के कुआ खसरा नम्बर— 358 से प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर— 346 तक, खसरा नम्बर— 357 गै.मु. रास्ता मे से होकर खसरा नम्बर— 342 मे से होकर पूर्वी दिशा की तरफ खसरा नम्बर— 347 की माट के पास मे होकर दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रार्थना—पत्र के सलंग्न प्रस्तुत नक्शा ट्रेस फोटो प्रति मे बरंग लाल रेखा से दर्शित अनुसार भूमि सतह से 4 फीट निचे भूमिगत पाईपलाईन बिछाने का अधिकार मंजूर एवं अनुज्ञात किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के बाद भूमि को पुनः पूर्ववत प्रार्थीगण द्वारा समतल की जावेगी।

उपखण्ड अधिकारी, रानी
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

आदेश आज दिनांक 21—6—19. को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, रानी
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Aditi Purohit
Date: 2019.07.15 14:07:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: